न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

0पत्र संख्या–68/2024
0पत्र प्रविष्टि दिनांक–12.12.2024
र्णय दिनांक–08.01.2025

रे सिंह पुत्र पांचू जाति बलाई निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक हाल निवासी आर.जे.
5–153 ए. गली नं. 6, पालम कॉलोनी, राजनगर, पार्ट 2, साउथ वेस्ट दिल्ली (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

हसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 87/2, 408, 513, 520, 521 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5301 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की व ख0न0 1/2, 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8841 हैक्ट. वाके ग्राम यामिनपुरा, पटवार हल्का डारडातुर्की तह0 पलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात आवेदक व उसके परिवार के लोगो के नाम जरिये रासत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है। वर्तमान समय मे प्रार्थी बालिग हो चुका है तथा उक्त वर्णित राजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी हरि सिंह पुत्र पांचू का नाम लिपिकीय त्रुटी से दीपक पुत्र पांचू दर्ज हो गा है। प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, अंकतालिका व आधार कार्ड की तियां संलग्न है। जिसमें प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र पांचू ही दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 70 के ग्राम डारडातुर्की व खाता संख्या 119 वाके ग्राम यामीनपुरा में अंकित भूमि में आवेदक का जो त्रुटीपूर्ण नाम पक पुत्र पांचू नाम दर्ज है। उसके स्थान पर सही नाम हरिसिंह पुत्र पांचू दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान रे। अतः आवेदक का आवेदन दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डारडातुर्की में वर्णित आराजीयात के जस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण इन्द्राज दीपक पुत्र पांचू के स्थान पर आवेदक का सही नाम हरिसिंह पुत्र पांचू व खाता ख्या 119 वाके ग्राम यामीनपुरा में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण इन्द्राज नाबालिक दीपक पुत्र चू सरपरस्त माता विमला के स्थान पर आवेदक का सही नाम हरिसिंह पुत्र पांचू दर्ज किये जाने का आदेश न करें।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी सीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दन किया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम डारडातुर्की के जमाबंदी संवत् 2074-77 व 2077 से यी जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 70 तथा यामीनपुरा के वर्तमान खाता संख्या 119 में प्रार्थीका नाम दीपक पुत्र ू जाति बलाई सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, तालिका में प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र पांचू ही दर्ज है। ग्राम यामीनपुरा की आराजीयात प्रार्थी को विरासत ान्तकरण संख्या 404 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है तथा ग्राम डारडातुर्की की आराजीयात प्रार्थी जरिये न्यायालय डिक्री से नामान्तकरण संख्या 727 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। ग्रामवासियो से ाछ करने पर उन्होने करने पर बताया की दीपक पुत्र पांचू तथा हरिसिंह पुत्र पांचू दोनो नामो से एक ही ति है तथा उक्त दोनो नामो से प्रार्थी को पहचाना जाता है। इस प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में यह ी दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई सा.देह खातेदार व हरिसिंह पुत्र पांचू जाति बलाई दोनो नाम प्रार्थी के ही है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। वक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 7/2, 408, 513, 520, 521 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5301 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की व ख0न0 1/2, 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8841 हैक्ट. वाके ग्राम यामिनपुरा, पटवार हल्का डारडातुर्की तह0 लू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात आवेदक व उसके परिवार के लोगो के नाम जरिये ासत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है। वर्तमान समय में प्रार्थी बालिग हो चुका है तथा उक्त वर्णित राजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी हरि सिंह पुत्र पांचू का नाम लिपिकीय त्रुटी से दीपक पुत्र पांचू दर्ज हो ा है। प्रार्थी का परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, अंकतालिका व आधार कार्ड की यां संलग्न है। जिसमें प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र पांचू ही दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 70 े ग्राम डारडातुर्की व खाता संख्या 119 वाके ग्राम यामीनपुरा में अंकित भूमि में आवेदक का जो त्रुटीपूर्ण नाम क पुत्र पांचू नाम दर्ज है। उसके स्थान पर सही नाम हरिसिंह पुत्र पांचू दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान । साथ ही खाता संख्या 119 वाके ग्राम यामीनपुरा में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटीपूर्ण इन्द्राज ालिक दीपक पुत्र पांचू सरपरस्त माता विमला के स्थान पर आवेदक का सही नाम हरिसिंह पुत्र पांचू दर्ज किये का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम डारडातुर्की के बंदी संवत् 2074-77 व 2077 से स्थायी जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 70 तथा यामीनपुरा के वर्तमान खाता ा 119 में प्रार्थी का नाम दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के र कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, अंकतालिका में प्रार्थी का नाम हरिसिंह पुत्र पांचू ही दर्ज है। ग्राम नपुरा की आराजीयात प्रार्थी को विरासत नामान्तकरण संख्या 404 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

था ग्राम डारडातुर्की की आराजीयात प्रार्थी को जरिये न्यायालय डिक्री से नामान्तकरण संख्या 727 द्वारा राजस्व कॉर्ड मे दर्ज हुई है। ग्रामवासियो से पूछताछ करने पर उन्होने करने पर बताया की दीपक पुत्र पांचू तथा रिसिंह पुत्र पांचू दोनो नामो से एक ही व्यक्ति है तथा उक्त दोनो नामो से प्रार्थी को पहचाना जाता है। इस कार से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में यह है की दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई सा.देह खातेदार व हरिसिंह पुत्र ांचू जाति बलाई दोनो नाम प्रार्थी के ही है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, आधार कार्ड, ष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा, संस्थान माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की अंकतालिका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ारी मतदाता पहचान पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र विमला पत्नि पांचू जाति बलाई निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू ला टोंक हाल निवासी आर.जे.एफ–153 ए. गली नं. 6, पालम कॉलोनी, राजनगर, पार्ट 2, साउथ वेस्ट ल्ली (राज0) व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया या। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी का शुद्ध नाम हरिसिंह पुत्र पांचू जाति बलाई है, जबकि ख0न0 87/2, 408, 513, 520, 521 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5301 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की व ख0न0 1/2, 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8841 हैक्ट. वाके ग्राम यामिनपुरा, पटवार हल्का डारडातुर्की के राजस्व कॉर्ड मे प्रार्थी का नाम दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित राजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई** के स्थान पर **हरिसिंह पुत्र ांचू जाति बलाई हि0 जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं खाता संख्या 119 वाके म यामीनपुरा के प्रार्थी के नाबालिक दीपक पुत्र पांचू संरक्षक सरपरस्त माता विमला हिस्सा 1/4 जाति बलाई डारडातुर्की खातेदार के स्थान पर **हरिसिंह पुत्र पांचू जाति बलाई हि0 जमाबंदी अनुसार** निर्णय आज नांक 08.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता, [illegible])
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक) (राज0)

Scanned with CamScanner

था ग्राम डारडातुर्की की आराजीयात प्रार्थी को जरिये न्यायालय डिक्री से नामान्तकरण संख्या 727 द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई है। ग्रामवासियो से पूछताछ करने पर उन्होने करने पर बताया की दीपक पुत्र पांचू तथा हरिसिंह पुत्र पांचू दोनो नामो से एक ही व्यक्ति है तथा उक्त दोनो नामो से प्रार्थी को पहचाना जाता है। इस कार से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में यह है की दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई सा.देह खातेदार व हरिसिंह पुत्र पांचू जाति बलाई दोनो नाम प्रार्थी के ही है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, आधार कार्ड, ष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा, संस्थान माध्यमिक विद्यालय परीक्षा की अंकतालिका, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा री मतदाता पहचान पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र विमला पत्नि पांचू जाति बलाई निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू ला टोंक हाल निवासी आर.जे.एफ–153 ए, गली नं. 6, पालम कॉलोनी, राजनगर, पार्ट 2, साउथ वेस्ट ल्ली (राज0) व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ा। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी का शुद्ध नाम हरिसिंह पुत्र पांचू जाति बलाई है, जबकि ख0न0 37/2, 408, 513, 520, 521 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5301 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की व ख0न0 /2, 223 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8841 हैक्ट. वाके ग्राम यामिनपुरा, पटवार हल्का डारडातुर्की के राजस्व ॉर्ड मे प्रार्थी का नाम दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित ाजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **दीपक पुत्र पांचू जाति बलाई** के स्थान पर **हरिसिंह पुत्र ू जाति बलाई हि0 जमाबंदी अनुसार** एवं खाता संख्या 119 वाके ग्राम यामीनपुरा के प्रार्थी के नाबालिक क पुत्र पांचू संरक्षक सरपरस्त माता विमला हिस्सा 1/4 जाति बलाई सा.डारडातुर्की खातेदार के स्थान पर **सिंह पुत्र पांचू जाति बलाई हि0 जमाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय दिनांक 08.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार र नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता कुमारी खारीक)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner